वाणिज्य अ.ज.– 860

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(वाणिज्य शाखा) CIN – U40109RJ2000SGC016482
विद्युत भवन, माकडवाली रोड, पंचशील नगर, अजमेर
दूरभाष – 0145–2644501, फेक्स – 0145–2644502

क्र./अ.वि.वि.नि.लि./अति.मु.अ. (मुख्यालय.)/अ.अ.–II/2022–23/प्रे 283 दि: 27.04.2022

आदेश

विषयः– **विद्युत उपलब्धता में कमी के कारण औद्योगिक इकाईयों पर प्रतिबन्ध लागू करने के संबंध में।**

प्रदेश में कोयले की आपूर्ति में भारी कमी, अत्यधिक गर्मी के कारण विद्युत मांग में वृद्धि एवं कोविड के बाद बढ़ी हुई व्यावसायिक गतिविधियों के कारण विद्युत की उपलब्धता एवं मांग में अन्तर अत्यधिक बढ़ गया है जिसके कारण प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत कटौती की जा रही है। इस स्थिति को देखते हुए सभी औद्योगिक इकाईयों द्वारा सांय 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक किये जाने वाले विद्युत उपभोग को सीमित करने का निर्णय लिया गया है। अतः उक्त समयावधि के दौरान सभी औद्योगिक इकाईयाँ स्वीकृत क्षमता का 50 प्रतिशत तक ही विद्युत उपभोग कर सकती है। यह प्रतिबंध तुरन्त प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक लागू रहेंगे।

सभी संबंधित अधिकारी उपरोक्त दिशा–निर्देशों की सख्त पालना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से

(एम.सी. बाल्दी)
अति. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
अविविनिलि, अजमेर

d /XEN-II/Comml. Order hindi